"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी.ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 फरवरी, 2005—माघ 22, शक 1926

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.).

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ.ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 1555/प्र. 1/2004.—चूंकि गायत्री परिवार ट्रस्ट निवासी आमालोरी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग ने छ. ग. पब्लिक लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 31-1-2005 को विचार के लिये लिया जायेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं एम. आर. भारद्वाज, पंजीयक लोक न्यास, पाटन, जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 31-1-2005 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम और पता : गायत्री परिवार ट्रस्ट, ग्राम आनालोरी, तहसील पाटन

(2) संपत्ति का विवरण : निरंक

आज दिनांक 30-10-2004 को मेरे स्वत: के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज़ारी किया गया.

एम. आर. भारद्वाज,
पंजीयक एवं अनुविभागीय
अधिकारी.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2004

क्रमांक/49 (2)/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री हरिलाल साहू आत्मज स्वर्गीय पुनीराम साहू, विवेकानंद नगर रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 27-1-2005 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता तथा संपत्ति का विवरण).

(1) ट्रस्ट का नाम	:	"अमरकंटक विपश्यना साधना ट्रस्ट", विवेकानंद नगर, रायपुर
(2) चल सम्पत्ति	:	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित, रायपुर-खाता क्रमांक 31242 राशि 5100-00 रुपये.
(3) अचल संपत्ति	:	निरंक

के. के. बक्शी,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.